चिकित्सा-पद्धति की गुणवत्ता में सुधार लाने और पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टरों की प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में नीति

477. **श्री इकबाल सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की सभी चिकित्सा-पद्धतियों की दवाइयों की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा देश के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी डाक्टरों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी डाक्टरों को गांव में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्ति करते समय सरकार द्वारा किन-किन बातों पर विशेष बल दिया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) और (ख) औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम देश में विनिर्मित औषधियों की गुणवत्ता और विपणन को शासित करते हैं। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों में रिक्त पदों पर डाक्टरों की तैनाती की जाती है। ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना में रिक्त पदों को भरने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध करती रहती है।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद ने अक्तूबर, 1995 में नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया था कि एक निर्धारित अवधि के लिए ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती आवश्यक करने के साथ-साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पूर्वापेक्षा मानी जाए। ग्रामीण अवसंरचना में डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने के लिए क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत भर्ती आरम्भ करने और साथ ही, जिन डाक्टरों ने ग्रामीण क्षेत्र में तीन वर्ष तक कार्य किया है, उनके लिए स्नातकोत्तर शिक्षा में कुछ प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के बारे में, राज्य सरकारों के परामर्श से, एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस मामले पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की जनवरी, 1997 में होने वाली आगामी बैठक में विचार किया जाएगा।

Siphoning of Money Through Banks

478. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of FINANCE be plttffecd to state:

(a) whether government's attention has been drawn to the news item captioned "Rs. 129 cr. siphoned off 'legally' through banks" appearing in the Times of India dated 29.10.96;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the reaction of government thereto?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) and *(c)* Ahmedabad office of the Emorcement Directorate has taken up investigations in a case involving suspected siphoning off of foreign exchange worth Rs. 129 crores to Hong Kong through the Bank of Baroda, Surat against forged documents.

राजकोट दूरदर्शन केन्द्र के कर्मचारियों के स्थानांतरण के आवेदन पत्र

479. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 3 सितम्बर, 1996 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 443 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में अभी तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को स्थानांतरित किया गया है और 1996 के दौरान अब तक कौन सी तिथि तक ये स्थानांतरण किए गए हैं;

(ग) क्या दूरदर्शन केन्द्र के निदेशक सहित किसी अधिकारी/कर्मचारी को किसी विशेष केन्द्र पर निर्धारित समयावधि के पश्चात् कार्य करने का दोषी पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?